न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 129/2019 वाद

रणजीत सिंह पिता हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरिया खेडी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. हिम्मत सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
2. सिन्टु कुंवर पुत्री हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
3. मिन्टु कुंवर पुत्री हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
4. जया कुंवर पुत्री हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय दिनांक 22.08.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 344 की आराजी नं. 26, 27, 132, 133, 134 कुल किता 5 कुल 8.5700 हेक्टेयर भूमि स्थित है । प्रतिवादी संख्या 1 हिम्मत सिंह का एक पुत्र वादी रणजीत सिंह तथा तीन पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार मौखिक बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादी का जन्म से हित निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त हिस्से अनुसार घोषणा करवा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री

Web Copy - Not Official

किया जावे तथा विवादित भूमि में वादी का 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 का 125, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वादी के कथनों को स्वीकार किया है तथा राजीनामें अनुसार 1/5, 1/5 हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का स्वीकार करते हुए इसी अनुसार घोषणा किये जाने का निवेदन किया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 344 उपलब्ध है जबकि राजीनामें के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2019-2022 ग्राम कचरियाखेडी की खाता संख्या 94 की प्रमाणित प्रति एवं मिलान क्षेत्रफल ग्राम कचरियाखेडी प्रस्तुत की गई है। संवत 2019-22 की जमाबन्दी में प्रश्नगत आराजीयात फतेह सिंह पिता भीम सिंह राजपूत, सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद मिलान क्षेत्रफल से भी होती है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि हिम्मत सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड है जो उन्हें विरासत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि साबित होती है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य होकर प्रतिवादी संख्या 1 की संतानें हैं। प्रतिवादी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है जिसने अपनी पुत्रियों के साथ उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा 1/5, 1/5 हक हिस्सा होना स्वीकार किया है। पुश्तैनी भूमि होने से वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 344 की आराजी नं. 26, 27, 132, 133, 134 कुल किता 5 कुल 8.5700 हेक्टेयर में वादी का 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 129/2019 वाद

रणजीत सिंह पिता हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरिया खेडी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. हिम्मत सिंह पिता फतेह सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
2. सिन्टु कुंवर पुत्री हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
3. मिन्टु कुंवर पुत्री हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
4. जया कुंवर पुत्री हिम्मत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया की तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 344 की आराजी नं. 26, 27, 132, 133, 134 कुल किता 5 कुल 8.5700 हेक्टेयर में वादी का 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested
Location:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official